



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8B/UCP/06/79/2021/FC .

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
 वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2543/12-1: देहरादून: दिनांक 15.04.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. A proper EDS replies of this office letter dated 31.03.2023 has not been submitted. Therefore, the State Government shall submit proper EDS replies for this office letter.
2. The User Agency/State Forest Department has not reduced the road area as suggested in the EDS. Therefore, the DFO shall inspect the area and submit a reduced length/area of proposed road.
3. The CA scheme has been uploaded based on old rates. A revised CA scheme as per the current rates is required.
4. As per the KML file, approximately 1.00 km of road cutting work has been carried out without prior approval. It is violation of Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam 1980. So, the DFO shall inspect the area and submit action taken report.
5. Alternative alignments of the proposed road (in KML file) with comparative statement shall be submitted.

6. A proper KML file clearly demarcating forest and revenue areas along the proposed road alignment is required.
7. The tree enumeration list uploaded in the year 2020. A revised tree enumeration list as per the current date is required.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।